

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवरिया।

पत्रांक-एफ0एस0 / निरीक्षण(पेट्रोल पम्प)/2019

दिनांक-12.11.2019

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
देवरिया।

विषय- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन गोरखपुर के पत्रांक एन0ओ0सी0/एनआरओ सिरसिया पट्टी हुसैन द्वारा खसरा संख्या-166 ग्राम-सिरसिया पट्टी हुसैन तहसील-सदर जिला-देवरिया, में प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्र संख्या-339(III)/शस्त्र-2019

दिनांक: 31अक्टूबर, 2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ में उक्त प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, का रिटेल आउटलेट डीजल/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

1. प्रस्तावित स्थल(35x35.03) देवरिया से कसया रोड पर किमी0 स्टोन नं0 18 से कसया 16 किमी0 तथा देवरिया 18 किमी0 से 782.00 मी0 पर दाहिने तरफ ग्राम-सिरसिया पट्टी हुसैन में स्थित है।
2. स्थल उपयुक्तता नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ-2005 के पार्ट-(III) के क्लाज 5-5-4 के मानक के अनुरूप है।
3. प्रस्तावित स्थल पर एचएसडी 20 के0एल0 व एमएस-15 के0एल0 हेतु दो-दो आउटलेट 6.00-7.00 मीटर लम्बाई व 1.00 मीटर चौड़ाई पर बनाया जाना है।
4. प्रश्नगत आउटलेट के मानचित्र में 11.50 मीटर चौड़ाई का प्रवेश व 11.50 मीटर का निकास द्वार तथा 12 मीटर लम्बाई व 3 मी0 चौड़ाई का बफर स्ट्रीप बनाया जाना है।
5. प्रश्नगत प्लॉट के तीन तरफ 1.20 मीटर ऊँचाई व .23 मीटर थिक बाउन्ड्री वाल बनाया जाना प्रस्तावित है।
6. एच0एस0डी0 क्लास 'ए' 20 के0एल0 का एक अण्डर ग्राउण्ड टैंक E/PIT साइज 2.00x6.75 मी0 का एवं एम0एस0 क्लास 'A' 15 के0एल0 का अण्डर ग्राउण्ड टैंक E/PIT साइज 2.00x5.00 मी0 का निर्माण आई0एस0 10987:1998 के अनुरूप ही किया जाना है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली:-

1. भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा जारी OISD (आयल इण्डस्ट्रीज सेफ्टी डायरेक्टिव्स) 205 में रिटेल आउटलेट में दिये गये निर्देशों का पालन अक्षरशः किया जाना आवश्यक होगा।
2. मानक आई0एस0 15683:2006 के अनुसार निम्न फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किये जाये:-
3. ए0बी0सी0 टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9/4 कि0ग्रा0/सीओ2 टाइप

10 अदर

(संकर शरण राय)

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी

देवरिया

Vikas Srivastava
08/10/20

Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney

4. डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 विथ ट्राली 01 अदद
5. फायर बकेट क्षमता 9 लीटर (स्टैंड पर टाँगी जाये) 12 अदद
6. धूम्रपान निषेध बोर्ड 01 अदद
7. बालू/रेत का ढेर 6/6/6 घन फिट व बेलचा 04 अदद
8. फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर-9454418799 व 9454418800 पुलिस कन्ट्रोल का टेलीफोन नम्बर-100 स्थानीय पुलिस स्टेशन व नजदीकी नर्सिंग होम का टेलीफोन नम्बर बोर्ड पर अंकित किया जाय।
9. स्ट्रेचर रस्सा व फर्स्ट एड बाक्स रखा जाय।
10. एच0एस0डी0 ड्रेनेज करते समय अर्थिंग अवश्य की जाय।
11. एम0एस0/एच0एस0डी0 लाने वाले ट्रैकर में फ्लेम अरेस्टर लगाया जाय।
12. प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा पेट्रोलियम पदार्थ के गुण व दोष की प्रक्रियाओं की जानकारी रखना अनिवार्य होगा।
13. प्रश्नगत रिटेल आउटलेट भूखण्ड के निकट किसी प्रकार का ऐसा अवरोध नहीं होगा जिससे कि क्षेत्रीय मार्ग पर वाहनों का आवागमन पेट्रोल फिलिंग स्टेशन क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले एवं बाहर निकलने वाले वाहनों का स्पष्ट रूप से दृष्टिगत न हो सके।
14. एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 एवं एक्सप्लोसिव सब स्टेंस एक्ट 1908 का पालन किया जाय
15. मनचित्र में दर्शाये गये नोट बिन्दु 01 से 24 तक के दिशा निर्देशों एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाय

अतः भारत कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा डीजल/पेट्रोल पम्प खसरा संख्या-166 ग्राम-सिरसिय पट्टी हुसैन तहसील-संदर जिला-देवरिया, पर नये रिटेल आउटलेट का संचालन करने से पूर्व उपरोक्तानुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्राविधान कराकर उमका अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तभी आउटलेट परिसर का प्रयोग सुरक्षित माना जायेगा।

यदि किसी भी कलाज का उल्लंघन किया जाता है तो यह संस्तुति आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी। उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन उक्त प्रश्नगत रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

(शंकर शरण राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जनकपुर देवरिया

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Constituted Attorney

08/10/20